संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति रक्षा पारिक,**R.A.S.**

प्रकरण संख्या:– 2024 / 195 राजस्व वाद

अनवान

(विस्तृत अनवान पिछे दर्ज है।)

1. दीपिका पत्नि कांतिलाल जी जाति माली, उम्र 40 वर्ष, निवासी शाहीबाग, खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

.... वादी

बनाम

2. लक्ष्मीबाई पत्नि स्व. मनोहरलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

.............प्रतिवादी

<u>वाद – स्थाई निषेधाज्ञा</u>

(अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीगण मय अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री सजंय माण्डोत मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:–

वादीया का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियां राजस्व ग्राम खमनोर, पटवार हल्का खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 1269 पुराना 621 में वर्णित आराजीयात् खसरा संख्या 3529, 3531 में प्रतिवादीया किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें तथा वादीया के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तथा आराजी संख्या 3530 में जो वादीया के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है में से वादीया 10 फीट चौडा रास्ता खुला छोडेगी जिस पर प्रतिवादीया के आने–जाने पर वादीया को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज.....–...... मुबलिज –.....–...... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर –.....–.. ..फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.06.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

ई	रूपया पैसा	मुदगलह	रूपया पैसा
ाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
ाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
ाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
हनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक		मिलान	
मिलान			

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

यालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

ण संख्या:– 2024 / 195 राजस्व वाद

निर्णय दिनांक– 9|6|2025

विस्तृत अनवान

1. दीपिका पत्नि कांतिलाल जी जाति माली, उम्र 40 वर्ष, निवासी शाहीबाग, खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

.... वादी

बनाम

1. लक्ष्मीबाई पत्नि स्व. मनोहरलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
2. माणकी बाई पत्नि स्व. किशनलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
3. कैलाशचन्द्र पिता स्व. मनोहरलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
4. नन्दलाल पिता स्व. जगन्नाथ जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी शाहीबाग खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
5. लक्ष्मीबाई पत्नि नन्दलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी शाहीबाग खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
6. जगदीशचन्द्र पिता नन्दलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।
7. घनश्याम पिता नन्दलाल जी जाति माली उम्र वयस्क निवासी खमनोर, तहसील खमनोर, जिला राजसमंद।

.......प्रतिवादीगण

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द